



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

पत्रांक-1789-पै०एवंआर०-28/पाकालि/12-108-पेंशन-31/90,

दिनांक : 23 अगस्त, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महंगाई राहत की लागू करें।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-220-पै०एवंआर०-28/पाकालि/11-108-पी-31/90, दिनांक 07.02.2012 जिसके द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 58 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी 2012 से महंगाई राहत की 7 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2012 से 7 प्रतिशत की उपरोक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 58 प्रतिशत की दर बढ़कर 65 प्रतिशत हो जायेगी।
2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०स०-19-14(23) एफ-85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-1789(1) पी०एण्डआर०/पाकालि०/2012, तददिनांक : 23.8.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।

न.अ.रा.च.का.के.का.का.

(Signature)


क्रमश.....2.....

(2)

3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांस्को।
5. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांस्को।
8. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
13. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

ए. ज. नाथय्या निवासी

आज्ञा से,


(एच०सी० लाल)

अनु सचिव (पें०एवंआर०)